कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–द्वितीय मध्य प्रदेश, ग्वालियर



क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उत्तराखण्ड–5 / 2024–25 /

दिनांक:-

प्रति.

्समी जिला कोषालय अधिकारी मध्य प्रदेश

विषयः— राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को दिनांक 01.07.2024 से 50 प्रतिशत के स्थान पर 53 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति।

- संदर्भः–(I) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड पत्रांकः पी.ए./पेंशन/उत्तराखंड शासनादेश/डी.आर.–91/2024–25/1576 दिनांक 21.11.2024
 - (II) अपर सचिव, उत्तराखंड शासन वित, (पेंशन) अनुभाग—10 संख्या—250643 / XXVII(10) E-22807/2022 दिनांक 29.10.2024.

परोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त संर्दिभित पत्र कमांक (1) के साथ संलग्न संदर्भित शासनादेश कमांक (2) की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर भुगतान करने की व्यवस्था करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.agmp.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / उत्तराखण्ड-5 / 2024-25 / 369 5

दिनांक:- 19-12-2 ्

प्रतिलिपिः— वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड महालेखाकार भवन, कोलागढ़, देहरादून—248195 पत्रांकः पी.ए. / पेंशन / उत्तराखंड शासनादेश / डी आर.—91 / 2024—25 / 1576 दिनांक 21.11.2024 के संबंध में सूचनार्थ।

प्रभारी वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पेंशन

१ - 9058 कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखंड "महालेखाकर भवन" कौलागढ़, देहरादून - 248195 फोन:0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970865 दिनांक: 21/11/2024

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

500004

हैदराबाद

तेलंगाना

ग में,		राज्य	राजधानी	पिन कोड
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	गुजरात	अहमदाबाद	380009
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
2	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गुवाहाटी	781029
3	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)		रांची	834002
4	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	पटना	800001
5	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	तिरुवनंतपुरम	695039
6	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल		474002
7	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	600018
8	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	
9	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020_
10	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-॥	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ	160017
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
15	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-।	उत्तरप्रदेश	प्रयागराज	226010
17	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-॥ गोमती नगर	प्रयागराज	लखनऊ	211001
18		पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
22	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ	रायपुर	492111
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	101 202/	आइजोल	796001
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिप्रास्म	गंगटोक	737102
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)			110124
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -v, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	the state of the business of the state of th	नई दिल्ली	403101
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	-
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110

32

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखंड <u>"महालेखाकार भवन" कौलागढ़ देहरादून-248195</u>

(फोन:- 0135-2970866, 2970867, फैक्स:- 0135-2970859)

पत्रांकः पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-91/2024-25/

दिनांक:

/11/2024

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

विषय-1: राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी हैं, को दिनांक: 01.07.2024 से 50% के स्थान पर 53% मंहगाई राहत की स्वीकृति।

सन्दर्भ:- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या:-250643/XXVII (10) E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 29.10.2024 |

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं, आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन वित्त (पेंशन) अनुभाग—10 संख्याः 250643/ XXVII(10)/E-22807/2022 <u>देहरादूनः दिनांकः 29अक्टूबर,</u> <u>2024</u> Government of Uttarakhand Finance (Pension) Section-10 No- 256643/XXVII(10)/E-22807/2022 Dehradun: Dated 29 October, 2024

G/12/29.x.21

कार्यालय ज्ञाप

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7वें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—199033 / XXVII(7)/E-22807/2022, दिनांक—14 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए, दिनांक 01.07.2024 से 50% के स्थान पर 53% की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- 3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

Office Memorandum

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01.07.2024 @ 53% instead of 50% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Memorandum No. Office E-22807/2022 199033/XXVII(7)/ Dated 14 March, 2024 for those pensioners whose pension revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

- 2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.
- 3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

- शासन के कार्यालय ज्ञाप 4. संख्या-ए −1−252 / दस / 10(3)−81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लाग् रहेंगे।

Signed by Dilipale () Date: 29-40-2024 11:43:26

संख्या-25004 XXVII(7)/E-22807/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।

- 1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- अपर मुख्य सचिव / सचिव, सार्वजिनक उद्यम विकास विभाग / शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड प्रेषित शासन को इस आशय से निकाय/उपक्रम की वित्तीय रिथति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय / उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष / प्रमुख समस्त उत्तराखण्ड।
- 6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादन को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा

- As per orders issued in 4. No-A-1-252/X/10(3)-81, O.M.27, 1982 April dated Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- Other terms and conditions 5. regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Dilip Jawalkar) Secretary.

No.256043 XXVII(7)/E-22807/2022, the dated.

following for to forwarded Copy information and necessary action.

- 1- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2- All Additional Chief Secretaryies/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Development Public Industry Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- Uttrakhand, General Accountant Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request

प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
- निदेशक, विभागीय. लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग–10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमिता जोशी) अपर सचिव। that account officers of other states be also informed please.

- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.
- 10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.

By Order,

(Amita Joshi)
Additional Secretary.